

153

48 50

राजस्व प्रोसेस कर प्रोसेसिंग कोर्ट

न्यायालय श्रीमान् ~~अनुचित महोदय~~ श्रीवा ~~सिंह~~ श्रीवा म.प्र. ।



- 1- गेंदलाल तनय लक्ष्मण उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि,
- 2- पत्नी परीगया ~~बेक~~ जोखाल पटेल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम उंठी तहसील - मऊंज जिला श्रीवा म.प्र.

----- निगरानी कर्ता गण ।

नाम

- 1- बाल्मीक तनय लक्ष्मण पटेल उम्र 50 वर्ष      § दोनो निवासी ग्राम उंठी
- 2- रामरेश तनय लक्ष्मण पटेल उम्र 48 वर्ष      § तह. मऊंज जिला श्रीवा म.प्र.

----- गैर निगरानी कर्ता ।

अधिवक्ता श्री जी.जी.पटेल  
अधिवक्ता कार्यालय  
श्रीवा दि. 16-4-12

Mul  
16-4-12

निगरानी विसुद्ध आदेश श्रीमान् अपर क्लेक्टर श्रीवा के राजस्व निगरानी प्रकरण क्र. 316अ 27/10-11 आदेश दिनांक 10-4-2012 से परिवेदित होकर अन्तर्गत धारा 52 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 ई.

30/4/12

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1- यहाँक मातहत न्यायालय का आदेश दिनांक 10-4-2012 नियम - प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

2- यहाँक मातहत न्यायालय के न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मऊंज


**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

R1173/II(2) (रीवा)

डी.एम.एस. / रा.म.डी.डी.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 18/7/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी <del>रखा गया</del> <del>रखा गया</del> के प्रकरण क्रमांक <del>36/2/18</del> में पारित आदेश दिनांक 10/11/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/11/19 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right">             सदस्य         </p>